भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 807

26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव

807. श्री सी. एम. रमेश:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में कुष्ठ रोग अधिनियम 1898 के कुछ भेदभावपूर्ण उपबंधों की आड़ में कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के साथ भेदभाव किए जाने का पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विधि आयोग ने 2015 में अपनी 256वीं रिपोर्ट में कुष्ठ रोग अधिनियम और इसी प्रकार की अन्य विधियों का निरसन करने की सिफारिश की थी और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या सरकार को देश में कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव को रोकने के लिए कुष्ठ रोग अधिनियम, 1890 में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार इस विषय पर राज्यों के साथ चर्चा करने और इस संबंध में उचित उपाय किए जाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में कुष्ठ रोगी अधिनियम 1898 के कतिपय भेदभावपूर्ण संबंधी उपबंधों की आड़ में कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के साथ भेदभाव किए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

भारतीय विधि आयोग ने अपनी 256वीं रिपोर्ट में कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898 को निरस्त करने तथा कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति अन्य भेदभावपूर्ण कानूनों को संशोधित करने या निरस्त करने की सलाह दी

है। भारतीय विधि आयोग की 256वीं रिपोर्ट की सिफारिशों का विवरण https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/20220816662.pdf. पर उपलब्ध है।

भारत सरकार ने कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898 की भेदभावपूर्ण प्रकृति का समाधान करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898 को वर्ष 2016 में निरस्त कर दिया गया था। भारत सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि कुष्ठ रोगियों के प्रति भेदभावपूर्ण सभी राज्य-कानूनों को निरस्त किया जाए।

कुष्ठ रोग, इसके उपचार के बारे में और इससे जुड़े सामाजिक कलंक को कम करने के लिए लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, साथ ही विभिन्न राज्य स्वास्थ्य विभाग और गैर-सरकारी संगठन जन-जागरूकता संबंधी अनेक अभियान चलाते आ रहे हैं, जैसे कि-

- **कुष्ठ रोग के मामलों का पता लगाने का अभियान (एलसीडीसी):** उच्च रोग भार वाले जिलों के रूप में और सकेंद्रित कुष्ठ रोग अभियान (एफएलसी) के लिए चिह्नित किए गए जिलों के गाँवों और शहरी क्षेत्रों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना ।

- सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कुष्ठ रोग से जुड़ी सेवाओं का प्रावधान।

- **कुष्ठ रोग के संदिग्ध मामलों के लिए आशाकर्मियों द्वारा निगरानी (एबीएसयूएलएस):** जो जिले एलसीडीसी के अंतर्गत शामिल नहीं हो पाए हैं उनमें यह निगरानी कार्यक्रम सामान्य दिनचर्या के क्रियाकलापों में समेकित किया जाता है और निरंतर जारी रखा जाता है। जाँच में दिखने योग्य विकृतियां पाए जाने पर रोगियों में ग्रेड 2 की विकलांगता (जी2डी) होने का पता लगाने के लिए महामारी विज्ञान की दृष्टि से जाँच।

- **स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान (एसएलएसी):** स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान (एसएलएसी) नाम से विशेष वार्षिक जन जागरूकता अभियान 30 जनवरी, 2017 से प्रारंभ किए गए हैं जिनका उद्देश्य कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति सामाजिक कलंक और भेदभाव को कम करना है।

- **पुनर्वास कार्यक्रम:** ये कार्यक्रम कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास में सहायता के लिए शुरू किए गए हैं। इनमें व्यासायिक प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और समाज में उनका समावेशण सुनिश्चित करने के प्रयास शामिल हैं। कुष्ठ रोगियों को ड्रेसिंग का सामान, सहायक दवाएं तथा इससे जुड़ी विकृति से बचने और इसके प्रबंधन में सहायता के लिए उन्हें माइक्रोसेल्यूलर रबर (एमसीआर) के जूते प्रदान किए जाते हैं। रोगियों को उनके असंवेदनशील हाथों/पैरों में विकलांगता बढ़ने से रोकने के लिए स्वयं-देखरेख के तौर-तरीकों का प्रशिक्षण देकर भी सक्षम बनाया जाता है।

स्थायी विकलांगता को रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी (आरसीएस) द्वारा ठीक करने पर भी बल दिया जाता है। आरसीएस सेवाओं में सुधार के लिए, भारत सरकार ने राज्य सरकार के सुझावों के आधार पर आरसीएस करने के लिए 112 संस्थानों को नामोद्दिष्ट किया है। इनमें से 60 संस्थान सरकारी हैं, जबकि 52 संस्थान गैर-सरकारी संगठन हैं। संबंधित रोगियों को निःशुल्क आरसीएस सुविधा देने के साथ-साथ उन्हें कल्याणकारी भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं।

- **स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी पहल:** राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) में निरंतर रूप से कुष्ठ रोग का शीघ्र पता लगाने, तुरंत उपचार देने और कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क उपचार और देख-रेख में सहायक सेवाएं प्रदान करना है।

****